न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

निर्णय दिनांक 7.1..2020

मुकदमा नम्बर 107 / 2018

1 सहीराम उर्फ श्रीराम 2 बाबूलाल 3 रामप्रकाष पुत्रगण तेजाराम ब्राहम्ण निवासीगण बींझासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

------वादीगण

बनाम

1 आईदान 2 राजूराम पुत्रगण तेजाराम ब्राहम्ण निवासीगण बींझासर 3 रामेष्वरलाल पुत्र तेजाराम ब्राहम्ण निवासी बींझासर तहसील श्री डूंगरगढ हाल जम्भेष्वरचौक, नोखा 4 उमेष पुत्र सीताराम ब्राहम्ण निवासी बींझासर 5 महेष पुत्र सीताराम हाल निवासी 11ए20 कोस ग्राउण्ड फ्लोर मालंगला नागौर भैया बेंगलोर 6 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता वादीगण की तरफ से।
2. श्री गोपीराम जानू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,4 व 5 की तरफ ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में सहीराम उर्फ श्रीराम ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में सगे भाई एवं भतीजा है व गांव बींझासर तहसील श्री डूँगरगढ के निवासी है । जिनका रहन सहन अलग ही है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 185 रकबा 8.37 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर खसरा नम्बर 188 तादादी 3.87 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 18.9100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 687 तादादी 10.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 52.00 हैक्टयर रोही बींझासर तहसील श्री डूंगरगढ में स्थित है । जिसमें वादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा 2 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/7, प्रतिवादी 4 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 4 ता 5का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का अपने अपने 1/7 हिस्से पर कब्जा काष्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वादगत खेतों का आज तक विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने अपने हिस्से को अदल बदल कर काष्त करते आ रहे है । इसलिए वादीगण उक्त खेतों में अपने अपने 1/7 हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाने के अधिकारी है । वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर कृषि विकास कार्य करना चाहते है, जो कि विभाजन के तहले संभव नहीं है । जिसके चलते दिनांक 2.8.2018 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से खाता विभाजन का निवेदन मिलकर एवं फोन से संपर्क कर किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने खाता विभाजन से स्पष्ट इंकार कर दिया । ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त विभाजन का दावा प्रस्तुत करना आवष्यक हो गया है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी को दिनांक 2.8.2018 को उक्त खेतों का विभाजन करवाने से इंकार करने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादाधिकार प्राप्त है व वादगत खेत वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के होने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादाधिकार प्राप्त है । अतः

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें –

खेत खसरा नम्बर 185 रकबा 8.37 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर खसरा नम्बर 188 तादादी 3.87 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 18.9100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 687 तादादी 10.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 52.00 हैक्टयर रोही बींझासर तहसील श्री डूंगरगढ में वादीगण का 1/7, 1/7 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में अमल दरामद कर अलग से नक्शा तरमीम किए जाने का आदश प्रतिवादी संख्या 6 को दिया जावे एवं अलग ही लगान कायम करवाया जावें ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 की तरफ से श्री गोपीराम जानू अधिवक्ता उपस्थित हुए उनको पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब का अवसर बन्द किया गया । प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये रिजस्टर्ड एडी तलब करने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । बहस इकतरफ सुनी गई ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या नया पुराना 10, 8 के खेत खसरा नम्बर 185 रकबा 8.37 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर खसरा नम्बर 188 तादादी 3.87 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 18.9100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 687 तादादी 10.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 52.00 हैक्टयर रोही बींझासर तहसील श्री डूंगरगढ में वादीगण का 1/7 हिस्सा भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण एवं अभी तक वादी प्रतिवादी का खाता विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 185 रकबा 8.37 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर खसरा नम्बर 188 तादादी 3.87 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 18.9100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 687 तादादी 10.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 तादादी 10.1800 हैक्टयर मय गै.मु. 0.1100 हैक्टयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 52.00 हैक्टयर रोही बींझासर तहसील श्री डूंगरगढ में वादीगण का शेष प्रतिवादीगणों का खाता यथावत रहेगा । तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 7.1.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2020.02.10 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: